प्रेस विज्ञप्ति

14.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 52.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का प्रत्याहरण किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आर्यरूप टूरिज्म एंड क्लब रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर आम जनता से निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की. हालांकि कंपनी और प्रमोटरों ने रिटर्न न देकर आम जनता को धोखा दिया और बदले में अपराध के आगम (पीओसी) को अलग-अलग स्थानों पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए निकाला (राउट)/ विपथित (डायवर्ट) किया। इसके अलावा अपराध के आगम को विभिन्न बेनामी खातों में रखा गया। 2013-14 के दौरान 3 कुर्की आदेश के तहत राजस्थान और ठाणे में स्थित 29.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के साथ उक्त बैंकों में जमा राशि को पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्क किया गया। आगे, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष विचाराधीन इस मामले में दिनांक 03.04.2014 को अभियोजन शिकायत दायर की गई।

तदोपर्यंत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांक 07.04.2021 के आदेश के तहत केंद्र सरकार को कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 8(8) के अंतर्गत जब्त करने का आदेश दिया। इस बीच, घोटाले के पीड़ित अपने दावे का इंतजार कर रहे थे।

जमाकर्ताओं के वास्तविक कारण को ध्यान में रखते हुए और अपराध के आगम को वैध वास्तविक जमाकर्ताओं को वापस दिलाने के उद्देश्य से, ईडी द्वारा एमपीआईडी सक्षम प्राधिकारी के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं और उन्हें पीएमएलए न्यायालय के समक्ष प्रत्याहरण/वापसी आवेदन दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

परिणामस्वरूप, एमपीआईडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए मुंबई के समक्ष दिनांक 07.04.2021 के आदेश को संशोधित करने और एमपीआईडी को संपत्ति सौंपने की प्रार्थना करने के उद्देश्य से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जमाकर्ताओं के व्यापक हित में और वर्तमान में चल रहे प्रत्याहरण प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष संपत्तियों के प्रत्याहरण के लिए एक हलफनामा दायर करके एमपीआईडी प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समर्थन किया, ताकि वैध वास्तविक जमाकर्ताओं को संपत्तियों का प्रत्याहरण किया जा सके।

इस प्रकार ईडी के हलफनामा के आधार पर, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांक 11.03.2025 के आदेश के तहत **अचल और चल संपत्तियां, जिनका वर्तमान मूल्य 52.31 करोड़ रुपये है,** को एमपीआईडी अधिनियम, 1999 के तहत सक्षम प्राधिकारी को सौंपने का आदेश दिया।